07/2020

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CA 557792

350/-



Advocate
Chakia Chandauli

न्यास विलेख

आर्यन शिक्षण संस्थान

यह न्यास विलेख दिनांक 25-06-2020 को रंजना सिंह पत्नि चन्द्र प्रकाश सिंह निवासी रामलक्ष्मण पुर, पोस्ट- रामपुर कलाँ, तहसील - चकियाँ, ब्लाक - चकियाँ, जनपद - चन्दौली द्वारा घोषित किया गया है जिन्हे आगे न्यासकर्ता /संस्थापक कहा जायेगा क्योकि न्यासकर्ता संस्थापक के पास ५०००/ पाँच हजार रूपया मात्र का राशि है जिसे की वह पुरूषार्थ एवं सामाजिक कार्यो हेतु दान देने की इच्छा करते हैं न्यासकर्ता / संस्थापक

रंजना सिंह

भारतीय गैर न्यायिक
पचास रुपये
रु.50
भारत
सत्यमेव जयते
INDIA
FIFTY RUPEES
Rs.50
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
CA 557793

राशि का अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक हैं जो कि समाज उत्थान हेतु सामाजिक सांस्कृतिक, भोगोलिक आदि दृष्टिकोण के आधार पर संस्थाहित, जनहित एवं समाजहित को ध्यान में रखते हुए शिक्षा क्षेत्र के साथ अन्य क्षेत्रो जैसे प्राविधिक, उच्च चिकित्सा, व्यवसायिक एवं सामाजिक आदि क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य करेगा जिसको आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा । क्योकि ट्रस्ट न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे की आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा हैं कि वह विभिन्न क्षेत्रों में दान, उपहार, ऋण, भूमि का क्रय एवं विक्रय आदि भी सम्मलित हैं जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष संम्पदा एवं साधनो को बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यो में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल 5000/- पाँच हजार रू० मात्र की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की हैं क्योकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम बैरी, पोस्ट -रामपुर कला, तहसील- चकिया, जिला- चन्दौली उ० प्र० में रहेगा एवं आपकी इच्छानुसार अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय को समय-समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरीत किया जा सकेगा । क्योकि न्यासकर्ता/ ट्रस्टी/ अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार द्वारा घोषित किया जाता हैं ।

रंजना सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CA 557794

3

आर्यन शिक्षण संस्थान इण्डिया ट्रस्ट एक्ट 1982 के अर्न्तगत कार्यरत ट्रस्ट उद्देश्यो एवं नियमावली -

१. **ट्रस्ट के उद्देश्य** - ट्रस्ट के निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करना

१. बिना लिंग भेद किये हुए इसके किये हुए प्राथमिक पाठशाला जू० हा० स्कूल, इण्टरमिडिएट कालेज, महाविद्यालयो, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमो, अनुसंधान केन्द्रो, छात्रवासो, कम्प्यूटर केन्द्रो, निराश्रितों, सामुदायिक विकास केन्द्रो, सर्वेक्षण केन्द्रो, पर्यावरण एड्स उत्थान केन्द्रो, एवं विवाह स्थल की स्थापनाकरण विकास सम्बंध, आबद्ध, प्रबद्ध, संचालन आदि कर सकता है तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदो, विभागो, प्रतिष्ठानो, संस्थानो, शासन आदि से उन्हे संम्बद्ध, आबद्ध पंजीकृत अनुमोदित स्वीकृति कराना ।

२. ग्राम विकास अभिकरण की गतिविधियो का संचालन करना ।

३. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना एवं संचालन करना ।

४. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि सुधार एवं कटाव रोककर जल संरक्षण एवं नदी का संरक्षण करना ।

रंजना सिंह

[redacted]

6/25/2020

538

25.6.2020

आवेदन संख्या: 20200099400261

न्यास पत्र

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 7 वर्ष: 2020

प्रतिफल- 5000 स्टाम्प शुल्क- 350 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 200





श्रीमती रंजना सिंह , रंजना सिंह
पत्नी श्री चन्द्र प्रकाश सिंह
व्यवसाय : अन्य
निवासी: नि0 ग्रा0 रामलछिमनपुर पो0 रामपुर कलां तह0 चकिया ब्लाक चकिया जनपद चन्दौली

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय मे दिनाँक 25/06/2020 एवं 01:41:12 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बृज बिहारी सिंह
उप निबंधक :चकिया
चंदौली
25/06/2020

चंदौली चकिया लिपिक
निबंधक लिपिक

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH ४

38AA 293212

५. उद्यानीकरण एवं जंगल आदि का विकास करना ।

६. महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विधि कार्यक्रम संचालित करना ।

७. प्रतियोगात्मक परीक्षाओ की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना ।

८. कृषि संगीत संबधित आदि विषयो की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना

९. किसी भी सामान तरल एवं ठोस की बिक्री करना ।

१०. पत्थर के खान का कार्य कराकर भूमि को उपजाऊ योग्य बनाना ।

११. ट्रस्ट के माध्यम से जीवन बीमा एवं सामान्य बीमा का कार्य कराकर भारत सरकार का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करना एवं लोगो को बीमा से लाभान्वित कराना ।

१२. उपहार के वस्तुओ का निर्माण एवं विक्रय करना ।

१३. विवाह स्थल का निर्माण कर गरीब लड़कियो का विवाह सम्पन्न कराना ।

१४. भूमि के क्रय एवं विक्रय करने का अधिकार ट्रस्टी अध्यक्ष को होगा ।

१५. कबाड़ा की सामानो को इकट्ठा करके फर्निस भट्ठियो का निर्माण करके उसको गलाकर वतावरण को दुषित होने से बचाना, पर्यावरण की सुरक्षा करना ट्रस्ट का सर्वोत्तम कार्य होगा जो कि मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी कार्य है ।

रंजना सिंह

6/25/2020 539

25-6-2020

न्यास

130

संतोष कुमार तिवारी

50

रंजना सिंह पत्नी चन्द्रप्रकाश सिंह
ग्रा० रामलछिमनपुर — चकिया

आवेदन सं०: 2020000994002614

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 7 वर्ष: 2020

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि के प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्रीमती रंजना सिंह, पत्नी श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

निवासी: नि0 ग्रा0 रामलछिमनपुर पो0 रामपुर कलां तह0 चकिया ब्लाक चकिया जनपद चन्दौली

व्यवसाय: अन्य रंजना सिंह



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री चन्द्रप्रकाश सिंह, पुत्र श्री राम जी सिंह

निवासी: ग्रा0 रामलछिमनपुर पो0 रामपुर कलां तह0 चकिया जनपद चन्दौली

व्यवसाय: अन्य चन्द्र प्रकाश सिंह

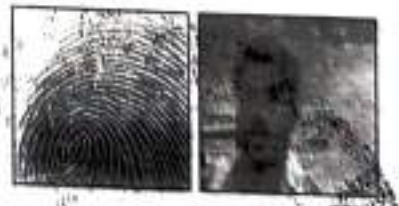


पहचानकर्ता : 2

श्री रोहन सिंह, पुत्र श्री ईश्वर सिंह

निवासी: ग्रा0 रामलछिमनपुर पो0 रामपुर कलां तह0 चकिया जनपद चन्दौली

व्यवसाय: अन्य रोहन सिंह



ने की। प्रत्यक्षत: भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है।

टिप्पणी :निष्पादन कर्ता द्वारा निष्पादन स्वीकार किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षरी

बृज बिहारी सिंह
उप निबंधक : चकिया
चंदौली

चंदौली चकिया लिपिक
निबंधक लिपिक

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 38AA 293213

१६. केन्द्र सरकार के सभी विभागो मानव संसाधन, समाज कल्याण नाबार्ड, कपार्ट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय सलाहकार बोर्ड महिला कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र, खेलकुद युवा कल्याण मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागो के कार्यो का संचालन करना ।

१७. आई० टी० आई०, पालिटेक्निक, बी० एड०, बी० टी० सी० इंजीनियरिंग, प्रबन्धक फार्मेसी, नर्स ट्रेनिंग, आपरेटर, टेक्निशियन, कौशल विकास केन्द्र, फिजीयोथरेपी, आदि मेडिकल कालेजो की स्थापना एवं संचालन करना ।

१८. समाज के लोगो के लिए हास्टल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र मेडिकल स्टोर, किराना की दुकान, फोटो स्टेट, टाइपिंग, कपंनी फार्म आदि की व्यवस्था करना ।

१९. पुस्तकालय, वचनालय, पत्र पत्रिकाओ, समाचार पत्रो, इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण बिक्री एवं मुल्य का निर्धारण करना ।

२०. अन्धे, गुंगे, बहरे, असहाय लोगो के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना व विद्यालय संचालित करना व उनके पुर्नवास के लिए संम्पुर्ण व्यवस्था करना ।

रंजना सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AA 293214

२१. विभिन्न विषयो के पाठ्यक्रमो तथा व्यवहारिक प्रायोगिक कला वाणिज्यिक, वैज्ञानिक क्रीडा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा उर्दू, अग्रेजी, कम्प्यूटर प्रोफेशनल आदि विषयो का विभिन्न स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने का प्रम्बंध करना ।

२२. विभिन्न प्रतियोगिताओ एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र/छात्राओं को साहसी बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्यन अध्यापन आवास आदि सुविधाओ का प्रम्बंधन करना ।

२३. साहित्यिक पुस्तको, पत्रो, पाठयक्रमो आदि का सृजन, संम्पादन, मुद्रण एवं वितरण कार्य कर सकना ।

२४. सांस्कृतिक पर्यावरण एवं एड्स कार्यक्रम व अधिवेशन गोष्ठियो, सम्मेलन प्रतियोगिताए बैठको विशेष कक्षाएँ सत्र प्रोत्साहन आदि कार्यक्रम आयोजित करना ।

२५. भण्डार गृहो का निर्माण कर अनाजो फलों का भण्डारण करना तथा उचित क्रय विक्रय करना ।

२६. शीत गृहो का निर्माण कर किसानो के फल, सब्जी, आलू, प्याज, अनाज भूसा की सुरक्षा करना ।

रंजना सिंह



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH ७ 18AE 747701

२७. किसानो को खसरा, खतौनी, इण्टरनेट के माध्यम से उपलब्ध करना ।

२८. बैंकिग का कार्य करना, लोगो का पैसा जमा कराकर उनको अच्छा रिर्टन देना, उनके पैसो को सुरक्षा प्रदान करना, समय समय पर गृह ऋण कार्य हेतु ऋण मोटर गाडी हेतु ऋण उपलब्ध कराना ।

२९. सिलाई, कढाई, बुनाई स्क्रीन प्रिंटिग आदि की शिक्षा हेतु शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना ।

३०. व्यक्ति विशेष, अन्य सोसायटी, ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, मेडिकल कालेजो, कौशल विकास केन्द्रो, इंजीनियरींग कालेजो, आई० टी० आई० को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित करना उनको इस ट्रस्ट मे समायोजित कर सकना ।

३१. ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति विभिन्न राष्ट्रिय, अर्न्तराष्ट्रिय संगठनो संस्थनो तथा व्यक्तियो से आर्थिक सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना ।

३२. विधि सम्मति उपयोगी जानकार का प्रचार प्रदान कर सकना ।

३३. आर्योवेदिक औषधियो का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार व प्रसार करना ।

रंजना सिंह

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
दस रुपये
TEN RUPEES
रु.10
Rs.10
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
18AE 747702

३४. प्रर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास करना एवं पर्यावरण सुधारने के लिए जानकारी देना एवं सेमिनार करना ।

३५. एड्स के बारे में जन जागरण हेतु प्रचार प्रसार करना ।

३६. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओ/वस्तुओ के लिए समुचित शुल्क/मूल्य निर्धारण कर प्राप्त करना

३७. पत्रचार द्वारा अध्यन, अध्यापन को प्रोत्साहीत कर सकना तथा अत्याधुनिक व्यवस्थाए कर सकना

३८. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, उसर सुधार, जैसे सामाजिक दायित्वो के विषय पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना ।

३९. डाक्टर, इंजिनियर, कारपेन्टर, सेटिग कारपेन्टर, मेंशन, बढ़ई, नाई, मोची, कूकर, ड्राईवर, इलेट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, मजदूर को प्रशिक्षण प्रदान कर के उनको देश एवं विदेश जाने के लिए कार्य कराना जिससे उनको रोजगार मील सके एवं देश का विकास हो सके ।

४०. कुटिर, लघु उद्योगो के माध्यम से असहाय तथा गरीब लोगो को रोजगार देना जिससे वह अपना जीवन यापन कर सके ।

रजना सिंह



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 18AE 747703

६

४१. किसानो को उन्नतशील बीजों, कीटनाशक दवाओं, तथा नये नये औजारों को सस्ते दरो में उपलब्ध कराना ।

४२. समय समय पर किसान संगोष्ठी का आयोजन कर उनको जागरूक करना ।

४३. किसानों को रासायनिक खादो डाई, यूरियाँ, पोटाश, जिंक, फास्फेट, कार्बनिक खाद, कम्पोस्ट खाद इत्यादि को समय समय पर उपलब्ध कराकर उनको लाभान्वित करना ।

४४. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जिर्णोधार कर सकना ।

४५. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमो का आयोजन एवं कियान्वयन कर सकना ।

४६. विभिन्न आयोजनों एवं कार्यक्रमों हेतु छात्रवृति पुरस्कार सहायता एवं वित्तिय सहायक स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना ।

४७. ट्रस्ट जन सामान्य के हित में कार्य करेगा । ट्रस्ट यथासंभव अपनी उत्पादित वस्तुए लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा ।ट्रस्ट द्वारा जनहीत में सड़क, खड़ंजा, तालाबो का निर्माण कर मछली पालन, मधुमक्खी पालन आदि प्रचार प्रसार करेगा ।

४८. ट्रस्ट अपनी उद्देश्य पुर्ति हेतु जन कल्याण एवं राष्ट्रकल्याणकारी योजना को कियान्वयन करेगा

४९. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिए ही व्यय करेगा ।

अंजना सिंह

[redacted]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 18AE 747704

५०. सस्ती दरो पर लोगो को फल तथा सब्जी उपलब्ध कराना ।

५१. लागो को दो पहिया, चार पहिया, एवं हैवी वाहन अपनी एजेंसी के माध्यम से सस्ते दरो पर उपलब्ध कराना जिससे कम लागत पर लोगो को वाहन उपलब्ध हो सके ।

५२. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेजों/इंजीनियरिंग कालेजो को [illegible] प्रदान करना एवं संचालित करना ।

५३. ट्रस्ट के चल एवं अचल संम्पत्ति का क्य एवं विक्रय का अधिकार ट्रस्टी अध्यक्ष को होगा ।

२ प्रारम्भिक उपलब्ध –:

१. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से रंजना सिंह पत्नी श्री चन्द्र प्रकाश सिंह को इस ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है ।

२. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान में मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष रंजना सिंह द्वारा रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्री को सुनिश्चित न किया जाये तो वारिष क्रम में उत्तराधिकारी ट्रस्ट के ट्रस्टी होगें ।

रंजना सिंह



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 11 18AE 747705

३. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारी को स्थानान्तरित कर सकता हैं ।

४. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष अपने जीवन काल में ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने उत्तरदायित्व अपने पुत्र अमन पटेल उम्र २० वर्ष को उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकेगें, इनके न रहने पर उक्त अमन पटेल के खानदान के ही व्यक्ति ट्रस्ट के उत्तराधिकारी होगें ।

३ मैनेजिंग ट्रस्ट/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी /स्थानान्तरण -:

१. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की स्थापना कर दे ।

२. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता है ।

३. किसी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेगें जो इस ट्रस्ट डीड मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये हो ।

४. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहा रजिस्टर्ड करा के अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी यह सुनिश्चित कर सकता हैं कि अपने जीवन काल में उत्तराधं में की गई वसीयत/इच्छा /व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी ।

रंजना सिंह

[redacted]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 18AE 747706

५. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारियों सहित पूर्ण माना जायेगा ।

४ बोर्ड आफ ट्रस्टीज –:

१. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयो पर विचार विर्मश एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है । जिसमें कि अधिकतम ५ सदस्य होगें ।

२. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ठ करेगा । ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करता तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताये ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।

रंजना सिंह

[redacted]

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
दस रुपये
TEN RUPEES
रु.10
Rs.10
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
18AE 747707

३. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुला सकता हैं जिसकी अध्यक्षता ट्रस्टी स्वयं करेगा ।

४. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्ही विषयो पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

५. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा दीए गए किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक द्वारा निर्भर करता हैं इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय मान्य एवं अन्तिम होगा ।

५ मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष कार्यकाल एवं सुविधायें -:

१. यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष को ट्रस्ट के द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ।इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा ।

२. यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मिले मानदेय भत्ते आदि पर कोई आय कर लगता है तो ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा आय से ही आयकर का भुगतान करेगा ।

रंजना सिंह



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 18AE 747708

१४

६ कार्यक्षेत्र -:

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा जिसमें सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से आर्थिक सहायता एवं परामर्श प्राप्त कर सकता हैं अथवा दे सकता हैं ।

७ मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष का विशेषाधिकार -:

मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा की वह ट्रस्ट के अर्न्तगत कार्यरत किसी भी अधिकारी कर्मचारी द्वारा लिए गए निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधित कर सकता है । मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के कार्य कलापो मे किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता हैं जो सभी संम्बधित पक्षो को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा ।

८ उपाध्यक्ष की नियुक्ति -:

१. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यो को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट एक उपाध्यक्ष एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा ।

रंजना सिंह



१५

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 18AE 747709

२. यह कि सचीव के बेतन भत्ते सुविधाये कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किया जायेगा ।

३. यह कि सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेगें । मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तिओं के विरूद्ध प्रशासनिक विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशंसानात्मक कार्यवाही कर सकता हैं अथवा पक्षो के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता हैं ।

सचिव की नियुक्ति -:

१. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यो के करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव उवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकता हैं ।

२. यह कि उक्त सचिवो के बेतन भत्ते सुविधायें कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चिजत किये जायेंगे ।

३. यह कि सचिव/उप सचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेगें । मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कारण बताये उक्त पदो पर कार्यरत व्यक्तिओं के विरूद्ध प्रशासनिक विधिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही कर पक्षो के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता हैं ।

रंजना सिंह



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 18AE 747710

१० अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य –:

यह कि इस ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत ट्रस्टी/अध्यक्ष को विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त ट्रस्टी/अध्यक्ष के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य होगें ।

१. बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना
२. इस ट्रस्टीज में उल्लेखित ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं नियमावली में सशोंधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहा रजिस्ट्रीकृत होने की दिनांक से मान्य होगा ।
३. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अनुपस्थिति मे सारे कार्यो की देख रेख उपाध्यक्ष करेगा ।आफिस विस्तार के लिए अध्यक्ष और भी सचिव और उपसचिव नियुक्त कर सकता है ।

११ बैंक एकाउन्ट –:

१. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा । मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देशो के अन्तर्गत खाता खोल सकता है । खाता संचालित कर सकता है ।

रंजना सिंह



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 18AE 747711

२. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/संस्थान केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला या संचालित किया जा सकता हैं। इस स्थिति में स्वयं या ट्रसट के अध्यक्ष के द्वारा दिये गये निर्देशो के अर्न्तगत खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता हैं।

१२ विधिक कार्यवाही –:

यदि संस्था ट्रस्ट के तरफ से कोई कोई विधिक कार्यवाही की जा सकती है या उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही होती हैं। तो सचिव अध्यक्ष के अनुमति से अधिवक्ता का नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों पैरवी अथवा किसी को अधिकृत कर सकता हैं।

१३ सम्पत्ति संम्बधी –:

१. ट्रस्ट चल अचल सम्पत्ति के संम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/ व्यक्ति को प्राप्त होता है।

रेजाना सिंह



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 18AE 747712

२. ट्रस्ट की ओर से चल अचल सम्पत्ती के संम्बन्ध में कोई निर्णय लेने/लेख विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता हैं ।

३. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, अनुग्रह, भेंट, सम्मान, स्मृति चिन्ह, मानदेय प्राप्त कर सकता हैं अथवा देख सकता हैं ।

४. ट्रस्ट धन को कही भी विनियोजित कर सकता हैं ।सुरक्षित कर सकता है किसी बैंक संस्था कम्पनी आदि की किसी योजना के अनुसार धन/संम्पत्ती का नियोजन कर सकता हैं ।

५. चल एवं अचल संम्पत्तियों के ब्रिकय के दौरान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष उवं सचिव में से दो लोगो का हस्ताक्षर उवं फोटो रहना जरूरी हैं ।

६. वर्तमान में ट्रस्ट के पास ५०००/रू०, पाँच हजार रूपया की पूंजी हैं ।

१४ विशेष –:

अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सचिव तीनो मिलकर कोई भी निर्णय ले सकते हैं जो कि सर्वमान्य होगा ।

रंजना सिंह



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 18AE 747713

१६

ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं नियमावली एतद् द्वारा अधिनियम अनुमोदित घोषित, स्वीकृत, आत्मसमर्पित एवं तत्काल से क्रियान्वित की जाती है । उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में जाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये हैं उक्त ट्रस्ट भारतीय अधिनियम के तहत मान्य है ।

तहरीर तारीख - 25/06/2020

रंजना सिंह

555

वाद निबंधन की तिथि 25-6-2020

वाद ग्रहण करने का प्रयोजन ...स्थाई...

वाद प्रेषण का भार / पूरा रुपया

..... वाद की धनराशि 10

130 अवध उ प्रा

संतोष कुमार तिवारी

अधिवक्ता परिषद वकालतखाना कचहरी

आर्यन त्रिशाल [illegible] हजारी

रंजना सिंह हजारी - चरखुवा वादी [illegible]

साठ रामलाहिमनपुर - प्रतिवादी



भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

भारत

INDIA

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

18AE 747714

२०

मसविदांकिया - मनोज कुमार एडवोकेट चकिया चन्दौली

टाइप किया - अमन पटेल रामलछिमन पुर चकिया चन्दौली

ट्रस्टी/अध्यक्ष



१- चन्द्र प्रकाश सिंह S/O श्री राम जी सिंह
निवासी- रामलछिमनपुर पोस्ट रामपुर कला चकिया चन्दौली
आधार न० 503617593866
मो० न० 9451197033



२- रोहन सिंह S/O श्री ईश्वर सिंह
निवासी- रामलछिमनपुर पोस्ट रामपुर कला चकिया चन्दौली
आधार न० 251424454259
मो० न० 8[illegible]489383

6/25/2020 556

आवेदन सं॰: 202000994002614

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 12 के पृष्ठ 259 से 298 तक क्रमांक 7 पर
दिनाँक 25/06/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बृज बिहारी सिंह
उप निबंधक : चकिया
चंदौली
25/06/2020